		विशेष विवरण
15/2/18	[illegible] उपस्थित P.O. [illegible] द्वारा पत्रावली [illegible] है। पत्रावली [illegible] दिनांक 18/1/18	
18/1/18	वकील उभयपक्ष उपस्थित। [illegible] द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित। P.O. साहब अवकाश पर हैं। पत्रावली [illegible] अतः आदेश की [illegible] दिनांक 26/2/18 को पेश हो।	
26/2/18	वकील आरी उपस्थित। अभियोगियों की तरफ से वकील आरी द्वारा दिनांक पेश करने हेतु अवसर चाहा न्यायहित में एक अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली के साथ हाजरी गवाहान हेतु दिनांक 2/4/18 को पेश हो। (रवि विजय) उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)	
2/4/18	वकील उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली दिनांक 27/4/18 को पेश हो।	
27/4/18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष। अपने अभिभाषक संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखने। पत्रावली दिनांक 23/5/18 को पेश हो।	
23/5/18	पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प जेल में पेश हुई। प्रकरण में धारा 88, 188 रा.पु.अ. का विचाराधीन है जिसे दस्तावेजात साक्ष्य के आधार पर निस्तारण किया जाता है। अतः प्रा.अ. में जारी अन्तरिम 7 R 15(3) को स्थाई किया जाकर मूल वाद छोड़ दिया जाकर कोर्ट के निर्णय तक दोनों पक्षों को पाबंद किया जाता है। पत्रावली जेल प्रशासन होकर मूलवाद के साथ संलग्न है। (रवि विजय) उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा, जिला-जयपुर (राज.)	